

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प. 2(13)III-A/निर्वा/बी.एफ.सी/2017-18/ 7371 जयपुर, दिनांक

28/12/17

प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति :- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान

विषय :- बजट मद 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत अन्तरिम आधिक्य/बचत
विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट मद 2015- निर्वाचन के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102,103,105,106 एवं 108 के सम्बन्ध में अन्तरिम आधिक्य/बचत विवरण निम्न प्रारूप में दिनांक 08.01.2018 तक पृथक-पृथक मदवार आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

बजट मद :-

क्र. स.	आदिनांक आवंटित राशि	दिनांक 31.12.2017 तक व्यय राशि	शेष सम्भावित दायित्व जो 31.03.2018 तक निस्तारित होंगे	योग (3+4)	आधिक्य/बचत (2-5)
1	2	3	4	5	6
	योग				

1. आधिक्य की स्थिति में लम्बित दायित्वों की सूची एवं दायित्व लम्बित रहने के कारण एवं बचत की स्थिति में बचत रहने के कारण अंकित करें।
2. संशोधित अनुमान 2017-18 हेतु आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/विभाग द्वारा सहमत राशि की सीमा में ही अतिरिक्त मांग/आधिक्य अंकित करें।
3. जिन मदों में वित्त विभाग द्वारा विभागीय प्रस्तावों में कमी गई है उन मदों में आपकी मांग के अनुरूप आनुपातिक आवंटन किया जावेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

(डॉ. संगीता राठौड़)
मुख्य लेखाधिकारी
निर्वाचन विभाग
राजस्थान जयपुर